

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक

21.04.2025

निर्णय दिनांक

05.06.2025

प्रकरण संख्या  
192/2025

हेमेश पुत्र प्रकाश चन्द्र बुनकर आयु वयस्क निवासी 147 नजदीक वाटर टैंक  
भोपालगंज भीलवाड़ा (राज०)

बनाम

प्रार्थी

1. श्री दिनेश खटीक पिता सूरज मल खटीक निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. श्री सुरेश अहीर पिता रतन अहीर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. श्री छित्तर रेगर पिता देवा रेगर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. श्री भैरू रेगर पिता देवा रेगर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. श्री सोहन रेगर पिता घीसा रेगर निवासी समोडी तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी श्री सुरेश चन्द्र सुवालका उपस्थित।  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं


--- विपक्षीगण

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर०एल०आर एक्ट :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम समोडी पटवार क्षेत्र दरीबा भू.अभि.नि.क्षै. पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा मे दर्ज है प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकारो की कृषि भूमि आराजी संख्या 1251/137 रकबा 0.0758 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1253/137 रकबा 0.02562 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1254/130 रकबा 0.1012 हेक्टेयर, आराजी संख्या 131 रकबा 0.0253 हेक्टेयर कुल कित्ता 4 रकबा 0.4585 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीया अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। मैंने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया। मैंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमावन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम समोडी पटवार क्षेत्र दरीबा भू.अभि.नि.क्ष. पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की कृषि भूमि आराजी संख्या 1251/137 रकबा 0.0758 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1253/137 रकबा 0.02562 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1254/130 रकबा 0.1012 हेक्टेयर, आराजी संख्या 131 रकबा 0.0253 हेक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.4585 हेक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05-06-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)  
सहायक अधिकारी  
भीलवाडा